(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 105 **नई दिल्ली,** दिनांक ०२-०७-२००८

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड के दिनांक 28 मार्च,2007 के आदेश की समीक्षा करने संबंधी समीक्षा आवेदन का निपटान करता है ।

(ब्रहम दत्त)
अध्यक्ष

6.2. सीएचपीटी ने हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

7. संदर्भगत मामले में एक संयुक्त सुनवाई दिनांक 28 जनवरी,2008 को सीएचपीटी परिसर में आयोजित की गई थी । संयुक्त सुनवाई के दौरान सीसीटीएल और कुछ प्रयोक्ता संगठछनों ने अपने अनुरोध प्रस्तुत किए थे । संयुक्त सुनवाई में सहमति के अनुसार 25 फरवरी,2008 को अधिकारी स्तर की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सीसीटीएल ने कार्यकुशलता संबंधी अपने परिकलन स्पष्ट किए थे ।

8. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्डों में उपलब्ध हैं । प्राप्त टिप्पणियों और उन पर संबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क संबंधित पार्टियों को अलग से भेज दिए जाएंगे । ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

9. यह उल्लेखनीय है कि मार्च,2007 के पूर्ववर्ती प्रशुल्क आदेश में शामिल लागत विश्लेषण प्रशुल्क मामलों का निर्णय करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई सामान्य कार्यवाही पर आधारित था । इस कार्यवाही में सीसीटीएल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे प्रासंगिक हैं, जिन पर अब तक अपनाई गई कार्यवाही में नए सिरे से नजर डालने की आवश्यकता है । इस प्राधिकरण ने इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है और मौजूदा कार्यवाही को संशोधित करने का निर्णय किया है, जैसाकि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है । उदाहरणार्थ थोक मूल्य सूचकांक, आरओसीई और विदेशी मुद्रा की दर
पर विचार करने के दृष्टिकोण को संशोधित करना आवश्यक हो सकता है, जब अनुमोदित प्रशुल्क के क्रियान्वयन से पहले इन मापदंडों में परिवर्तन आ जाता है । इसलिए, प्रशुल्क मामलों में उत्पन्न होने वाली इसी प्रकार की स्थिति में यही दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ।

10. पूर्ववर्ती आदेश की समीक्षा करने के लिए सीसीटीएल द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का कार्यवाहियों के दौरान एकत्रित समग्र सूचना पर विचार करते हुए विश्लेषण किया गया है :-

(i) **नियोजित पूंजी पर आय :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14 (ix) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

संशोधित दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार, प्राधिकरण को महत्वपूर्ण मापदंडों में परिवर्तनों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल में आरओसीई की दर की समीक्षा करनी होती है । तद्नुसार, क्रिसिल सलाहकार सेवाएं से प्राप्त संबंधित मापदंडों के अद्यतन मूल्य के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा आरओसीई के मौजूदा मूल्य की समीक्षा आरंभ की गई थी । दिनांक 15 मई,2007 की अधिसूचना सं० टीएएमपी/27/2005-विविध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 में निर्णीत मामलों के लिए संशोधित आरओसीई 16% पर निर्धारित की गई है। सीसीटीएल द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आदेश सरकारी राजपत्र में 17 अप्रैल,2007 को अधिसूचित किया जा चुका है । इस अधिसूचना (सं० टीएएमपी/21/2006-सीसीटीएल) द्वारा यह प्राधिकरण दरों के मान के संशोधन हेतु सीसीटीएल के प्रस्ताव का निपटान कर चुका है । यह आदेश सीसीटीएल को 19 अप्रैल,2007 को प्रेषित कर दिया गया था और 18 मई,2007 से इसके लागू होने के बारे में उल्लेख किया गया था । किसी एक या इन सभी मापदंडों पर विचार करते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले पर निर्णय वित्तीय वर्ष 2007-08 में लिया गया था । यह मामला स्पष्टतया वित्तीय वर्ष 2007-08 में निर्णीत किया गया था । इसलिए, यह प्राधिकरण संशोधित आरओसीई को दर्शाने वाले आदेश के एक भाग के रूप में समेकित आय और लागत विवरणी में आवश्यक संशोधन करे ।

विश्लेषण

मार्च,2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 में महत्वपूर्ण मापदंडों में परिवर्तनों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल में आरओसीई की दर की इस प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जानी अपेक्षित की गई है । इसलिए, रेखांकित महत्वपूर्ण मापदंडों में परिवर्तनों के आलोक में वर्ष 2007-08 के आरंभ में आरओसीई की दर की समीक्षा की गई थी और वर्ष 2007-08 के लिए इसे संशोधित कर 16% किया गया था ।

परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के कारण आरओसीई में परिवर्तन हुआ है, जोकि आदेश के समय अर्थात 28 मार्च,2007 और इसके क्रियान्वयन के समय अर्थात 17 मई,2007 के बीच घटित हुआ था । चूंकि, अनुमोदित संशोधित प्रशुल्क वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रभावी हुआ था और तीन-वर्षीय अवधि के लिए वैध रहा था, इसलिए वर्ष 2007-08 से संबंधित मापदंडों को अपनाना उचित है । इसे देखते हुए, वर्ष 2007-08 के लिए लागू 16% पर आरओसीई पर विचार करते हुए लागत विवरण पुनः तैयार किए गए हैं ।

(ii) **मुद्रास्फीति :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14 (iii) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

संशोधित दिशानिर्देशों के खंड 2.5.1 में यह अपेक्षा की गई है कि टर्मिनल प्रचालकों के व्यय संबंधी पूर्वानुमान भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 मई,2007 की अधिसूचना सं० टीएएमपी/27/2005-विविध द्वारा सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की मौजूदा घटबढ़ों के संदर्भ में घोषित मूल्य संबंधी उतार-चढ़ावों के लिए समायोजित प्रशुल्क के अनुरूप होने चाहिए, इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान पारित सभी आदेशों के लिए दर 5.4% अधिसूचित की गई है । सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत लागत के विभिन्न घटकों में वृद्धि की दर महत्वपूर्ण रूप से 5.4% से अधिक होगी और जिसे पूर्ववर्ती अनुरोधों में न्यायोचित ठहराया गया है, जबकि प्राधिकरण ने लागतों में केवल 5% वृद्धि प्रदान की थी । नई अधिसूचित दर पर संशोधन और अनुमानों के परिशोधनों में विचार किया जाए ।

विश्लेषण

प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.5.1 में अपेक्षा की गई है कि महापत्तनों/टर्मिनल प्रचालकों के व्यय संबंधी पूर्वानुमान सरकार द्वारा घोषित के अनुसार सभी वस्तुओं हेतु थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वर्तमान घटबढ़ के संदर्भ में मूल्य में उतार-चढ़ाव के लिए समायोजित यातायात के अनुरूप होने चाहिए । तद्नुसार, वर्ष 2007-08 के लिए

व्यय पूर्वानुमानों हेतु 5.40% के वृद्धिकारी कारक पर विचार किया जाना चाहिए था ।

वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के कारण वार्षिक वृद्धिकारी कारक में परिवर्तन हुआ है, जोकि आदेश के समय अर्थात 28 मार्च,2007 और इसकी अधिसूचना के समय अर्थात 18 अप्रैल,2007 के बीच घटित हुआ था । चूंकि, अनुमोदित संशोधित प्रशुल्क वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रभावी हुआ था और वर्ष 2009 के अंत तक वैध रहेगा, इसलिए वर्ष 2007-08 से संबंधित व्यय पूर्वानुमान 5.40% के वार्षिक वृद्धिकारी कारक पर आधारित होने चाहिए । इसे देखते हुए, व्यय के अनुमान हेतु 5.4% के वृद्धिकारी कारक पर विचार करते हुए लागत विवरण पुनः तैयार किए गए हैं ।

(iii) **विनिमय दर :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14 (vii) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ 17 अप्रैल,2007 को 41.73 रुपए प्रति एक अमरीकी डॉलर की विनिमय दर की तुलना में 44.18 रुपए प्रति एक अमरीकी डॉलर की विनिमय दर लागू की थी । वस्तुतः, पिछले एक महीने से विनिमय दर घटकर 41 रुपए प्रति एक अमरीकी डॉलर से भी नीचे आ गई है । इसके मद्देनजर, यह अनुरोध है कि प्राधिकरण मामले के निपटान की तारीख को मौजूद सही विनिमय दर लागू करे । आवेदन-पत्र में संशोधन करते हुए 41 रुपए प्रति एक अमरीकी डॉलर की विनिमय दर पर विचार किया गया है।

विश्लेषण

सीसीटीएल के अनुरोध की विनिमय दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में समीक्षा की जानी चाहिए, जोकि आदेश के समय अर्थात 28 मार्च,2007 और आदेश की अधिसूचना अर्थात 18 अप्रैल,2007 के बीच घटित हुआ था । चूंकि, सीसीटीएल का प्रशुल्क आदेश 18 अप्रैल,2007 को अधिसूचित किया गया था, अधिसूचना की तारीख को विद्यमान 42 रुपए की विनिमय दर पर विचार किया गया है और आय अनुमानों की तद्नुसार पुनः गणना की गई है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अब विनिमय दर 42 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर को पार कर चुकी है । चूंकि, 3 वर्षों के लिए अनुमानों पर विचार किया गया है, यह आशा की जाती है कि विनिमय दर में अल्पावधि घटबढ़ 3 वर्ष की अवधि में संतुलित हो जाए । किसी भी स्थिति में, डॉलर मूल्यवर्गित प्रशुल्क के कारण सहित मौजूदा प्रशुल्क वैधता अवधि के दौरान सीसीटीएल द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक आय पर दिशानिर्देशों के खंड 2.13 के संदर्भ में अगले प्रशुल्क संशोधन के समय सीसीटीएल के वास्तविक भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के साथ विचार किया जाएगा ।

(iv) **अंत्य मूल्य :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14 (v)(ण) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

यह प्राधिकरण पूर्ववर्ती आदेश में विचारित मूल्यों को अपनाती रही है । सीसीटीएल द्वारा प्रदत्त संशोधित गणना पर विचार नहीं किया गया है । प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि प्राधिकरण के पूर्ववर्ती आदेशों में इस मुद्दे पर पर्याप्त कार्रवाई की गई है और पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से विपथित होने का कोई कारण नहीं है । प्राधिकरण को यह मानना चाहिए कि 30 वर्ष के अंत में देय चल परिसंपत्तियों के संबंध में भुगतान का इस समय निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

किसी भी मौजूदा और वर्ष 2009 तक की अवधि के दौरान जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित परिसंपत्तियों के संबंध में लाइसेंस अवधि के अंत में कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं होगा । यह भी उल्लेखनीय है कि लाइसेंस करार के अनुच्छेद 13.06 (ग) के अनुसार सीसीटीएल को किसी भी हालत में 5 वर्ष से कम के अवशिष्ट जीवन वाले उपस्कर के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी । किसी अवशिष्ट मूल्य के बारे में कार्रवाई ऐसी परिसंपत्तियों के व्युत्पन्न होने के समय पर ही की जानी चाहिए । वर्तमानतः, जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि सभी परिसंपत्तियां लाइसेंस करार की समाप्ति से पूर्व ही अपना निर्धारित जीवन काल पूरा कर लेंगी और ऐसी परिसंपत्तियों के लिए कोई क्षतिपूर्ति उपार्जित नहीं होगी । इसलिए, अंत्य मूल्य के लिए समायोजन के संबंध में केवल तभी विचार किया जा सकता है, जब लाइसेंस अवधि के अंत में जीवन काल वाली परिसंपत्तियां व्युत्पन्न हो

गई होंगी और उन पर मूल्यह्रास अनुमत्य होता है । चूंकि, वर्तमानतः कोई भी परिसंपत्ति न तो उपलब्ध है और न ही प्रस्तावित है, इसलिए ऐसी परिसंपत्तियों के लिए किसी अंत्य मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता ।

हालांकि, सीसीटीएल को इस परिकलन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इस परिकलन के लिए विचारित मूल्य एक मिलियन अमरीकी डॉलर होना चाहिए, जोकि लाइसेंस अवधि के अंत में सीएचपीटी द्वारा देय अंत्य मूल्य है ।

विश्लेषण

(i) सीसीटीएल ने स्वीकार किया है कि उसे वार्षिकीकृत अंत्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं है । तथापि, सीसीटीएल का मत है कि मौजूदा परिसंपत्तियों और वर्ष 2009 तक की मौजूदा प्रशुल्क वैधता अवधि के दौरान जोड़ी जाने वाली परिसंपत्तियों के संबंध में लाइसेंस अवधि के 30वें वर्ष के अंत में कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं होगा ।

(ii) दिनांक 28 मार्च,2007 के आदेश में विचारित सीसीटीएल द्वारा प्राप्य बट्टागत अंत्य मूल्य में 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का बट्टागत अनुमानित अवशिष्ट मूल्य शामिल होता है । यह स्मरणीय है कि लाइसेंस अवधि के अंत में 59.90 करोड़ रुपए की राशि की परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य वर्ष 2002 के अंत में प्रशुल्क निर्धारण के समय पर सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत विवरण से लिया गया था । इस प्राप्ति को उपयुक्त बट्टा दर पर बट्टाकृत करके समग्र परियोजना जीवनकाल की तुलना में वार्षिकीकृत किया गया था ।

(iii) यदि सीसीटीएल का यह आशय है कि रियायती अवधि के अंत में उसके पास 5 वर्ष से अधिक के अवशिष्ट जीवन वाली कोई भी परिसंपत्तियां नहीं बचेंगी, सही है, क्योंकि इस कारण सीसीटीएल को स्वामी पत्तन (सीएचपीटी) द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी । यह उल्लेखनीय है कि जहां तक उपस्कर का संबंध है, 30वें वर्ष के अंत में अंत्य मूल्य

लाइसेंस करार के अनुच्छेद 13.12 में उल्लिखित मूल्यह्रास घटाते हुए प्रतिस्थापन लागत के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निर्धारित मूल्य पर निर्भर करता है ।

(iv) रियायत करार के अनुसार पत्तन न्यास द्वारा उपस्कर की खरीद वैकल्पिक है और लाइसेंसदाता बिना किसी क्षतिपूर्ति के 5 वर्ष से भी कम के अवशिष्ट जीवन वाले उपस्कर का अधिग्रहण कर सकता है । अन्य उपस्कर के मामले में मूल्य का निर्धारण स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निवल प्रतिस्थापन लागत पर किया जाता है । सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या रिआयती अवधि के अंत में विचारित सभी उपस्करों का अवशिष्ट मूल्य 5 वर्ष से अधिक होगा। इसके अलावा, यह विश्लेषण ऐतिहासिक लागत पर आधारित था, जबकि सीसीटीएल प्रतिस्थापन लागत पर अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है । इसलिए, यह देखा गया है कि सीसीटीएल के पिछले 2 अथवा 3 प्रशुल्क चक्रों में अंत्य मूल्य पर विचार करना सुविधाजनक होगा, जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी । परिणामतः, मार्च,2007 के आदेश में उल्लिखित स्थिति की इस संबंध में अंत्य मूल्य को शामिल न करते हुए समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । यह समीक्षा किए जाने के बावजूद भी पूर्ववर्ती प्रशुल्क आदेशों में वर्ष 2007 से पहले की उल्लिखित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वर्ष 2007 से पूर्व विचारित राशि को श्रेय दिया जाना चाहिए, जब अनुवर्ती चरण में प्रशुल्क परिकलन में उपस्कर के अंत्य मूल्य पर विचार किया जाता है ।

(v) **कार्यशील पूंजी में विविध उधारकर्ताओं को शामिल करना :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14 (v)(प)(i) और (ii) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.9 के अनुसार टीएएमपी इसके औचित्य की जांच करने पर कार्यशील पूंजी की अनुमति दे सकता है । इसके अलावा, दिशानिर्देश में संपदा देयताओं और रेलवे टर्मिनल प्रभारों के मामले में दो महीने की उच्चतर सीमा विनिर्दिष्ट की गई है । प्राधिकरण ने यह मानते हुए कि किसी भी समय सभी व्यापारों में कोई उधारकर्ता नहीं होना चाहिए, दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या की है । चाहे, यदि भुगतान तत्काल किया जाना हो, बीजक तैयार कर प्रस्तुत करने में 5-7 दिन तक समय लग जाता है और नौवहन लाइनों द्वारा भुगतान करने

में अन्य 7 दिन का समय लग जाता है । इसके मद्देनजर सीसीटीएल द्वारा 12 दिन के लिए राशि का दावा करना काफी तर्कसंगत है । इसलिए, प्राधिकरण से विविध उधारकर्ताओं के रूप में कम से कम 12 दिन के वार्षिक राजस्व की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है ।

सीसीटीएल द्वारा विचारित पूर्व-भुगतानों को कार्यशील पूंजी के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि किराए और रॉयल्टी के रूप में पत्तन प्राधिकारियों को पूर्व-भुगतान को दिशानिर्देशों में कार्यशील पूंजी के रूप में विचारार्थ एक मद के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है । संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.9 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित सूची संकेतात्मक है और जब तक टीएएमपी यह विश्वास करता है कि पत्तन को पूर्व-भुगतान अनुचित रूप से किए गए हैं, तब तक इस पर नियोजित पूंजी के परिकलन में विचार किया जाना चाहिए ।

विश्लेषण

(i) प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.9 में विविध उधारकर्ताओं सहित कार्यशील पूंजी की स्वीकार्यता का उल्लेख किया गया है । सीसीटीएल रेलवे सुविधाओं का प्रचालन नहीं करता है और इसलिए टर्मिनल प्रभारों के रूप में रेलवे द्वारा इसे कोई राशि देय नहीं है । तथापि, दिशानिर्देशों का खंड 2.9.9 इस प्राधिकरण को कार्यशील पूंजी की विभिन्न मदों के औचित्य की जांच करने की अनुमति प्रदान करता है । इसलिए, सीसीटीएल द्वारा दावा किए गए अनुमानित उधारकर्ताओं की समीक्षा की गई है ताकि अपरिहार्य और अनिवार्य लेन-देनों के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसे उधारकर्ताओं का पता लगाया जा सके ।

(ii) विविध उधारकर्ताओं को मौजूदा परिसंपत्तियों की एक मद मानने का सीसीटीएल का अनुरोध प्रचालक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए बिल तैयार करने में लगने वाले समय और नौवहन लाइन्स द्वारा भुगतान करने में लगने वाले सूचित समय पर आधारित है । लेकिन, सीईपीएसएए ने उल्लेख किया है कि नौवहन लाइन्स को सीसीटीएल के पास अग्रिम राशि रखनी होती है ।

(iii) यह उल्लेखनीय है कि कंटेनरों पर, जिनकी सीसीटीएल में हड़ताल की अवधि (दिनांक 30 सितम्बर,2004 का आदेश) के दौरान निकासी नहीं की जा सकी थी, प्रभार से छूट देने के लिए पत्तन प्रयोक्ता संगठनों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों से संबंधित इस प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में सीसीटीएल ने पुष्टि की थी कि यह प्रयोक्ताओं के जमा खाते रखता है । इससे पता चलता है कि सीसीटीएल पत्तन प्रयोक्ताओं से अग्रिम राशि प्राप्त करता है और एक दिन के लिए भी ऐसा कोई अवसर नहीं आता कि जब प्रयोक्ताओं की ओर पत्तन प्रभार बकाया रहते हों ।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, विविध उधारकर्ताओं के रूप में 12 दिन के वार्षिक राजस्व की अनुमति देने का प्रश्न उत्पन्न होता दिखाई नहीं देता ।

(iv) सीसीटीएल और सीएचपीटी के बीच निष्पन्न लाइसेंस करार के अनुच्छेद 5.02 (घ) के अनुसार सीसीटीएल द्वारा 5 लाख टीईयू प्रतिवर्ष के न्यूनतम गारंटीशुदा थ्रूपुट के लिए प्रत्येक महीने हेतु अग्रिम तौर पर मासिक आधार पर सीएचपीटी को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना है । इसी प्रकार, सीसीटीएल द्वारा लाइसेंस करार के अनुच्छेद 5.04(क) में

उल्लिखित के अनुसार इसे आवंटित भूमियों के लिए पट्टा किराये का प्रतिवर्ष अग्रिम तौर पर भुगतान किया जाना है ।

चूंकि, उपर्युक्त अग्रिम भुगतान लाइसेंस करार के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, इसलिए ऐसे पूर्व-भुगतानों को आय की अनुमति के प्रयोजनार्थ कार्यशील पूंजी के हिस्से के रूप में विचार करने का मामला बनता है ।

सीसीटीएल ने वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु सीएचपीटी को मासिक रॉयल्टी पूर्व-भुगतान के रूप में लगभग 1150 लाख रुपए की राशि का दावा किया है । सीसीटीएल के दावे की जांच करने पर यह पता चलता है कि 1150 लाख रुपए की राशि 41667 टीईयू प्रतिमाह के न्यूनतम गारंटीशुदा थ्रूपुट के कारण उत्पन्न अनुमानित आय है । इसलिए, यह दावा इस कारण सही दिखाई नहीं देता है कि अनुमानित प्रचालन आय के अनुमत्य स्तर की रॉयल्टी ही पूर्व-भुगतान हो सकती है ।

5 लाख टीईयू प्रतिवर्ष के लिए अनुमानित प्रचालन आय के अनुमत्य स्तर को आय की अनुमति देने के

प्रयोजनार्थ विचाराधीन सभी वर्षों के लिए कार्यचालन पूंजी के रूप में मासिक आधार पर पूर्व-भुगतान के रूप में माना गया है । वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए रॉयल्टी पूर्व-भुगतान क्रमशः 281.32 लाख रुपए, 280.45 लाख रुपए और 279.74 लाख रुपए बैठता है ।

सीसीटीएल ने सीएचपीटी को पट्टा किराये के भुगतान के रूप में वर्ष 2009 तक प्रत्येक वर्ष के लिए 881.59 लाख रुपए का भुगतान प्रस्तुत किया था, जोकि इस प्राधिकरण द्वारा मार्च,2007 के आदेश में स्वीकार किया गया था । तथापि, सीसीटीएल ने सीएचपीटी को पट्टा किराये के तौर पर पूर्व-भुगतान के रूप में वर्ष 2007 से 2009 तक प्रत्येक वर्ष के लिए 725 लाख रुपए की राशि पर विचार किया है । अग्रिम भुगतान संबंधित महीने के देय किराये के बदले में समायोजित किया जाएगा और वर्ष के अंत में संपूर्ण अग्रिम समायोजित किया जाएगा । इसे देखते हुए, 725 लाख रुपए के 50% पर पूर्व-भुगतान के औसत 362.50 लाख रुपए को आय की अनुमति के प्रयोजनार्थ वर्ष 2007 से 2009 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है ।

(vi) **आबद्ध ट्रक सेवा :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14 (xxiv) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

टीएएमपी महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है । महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत महापत्तन अथवा अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अधिनियम की धारा 42(i) के अंतर्गत आने वाली सेवाएं आरंभ कर सकते हैं । टीएएमपी केवल इन्हीं सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित कर सकता है अथवा शक्ति प्राप्ति है । वर्तमान मामले में पत्तन के बाहर ढुलाई सुविधाजनक बनाने के लिए सीसीटीएल के ग्राहकों को प्रस्तावित आबद्ध ट्रक सेवा महापत्तन न्यास अधिनियम की परिधि में नहीं आती और तद्नुसार, यह अधिनियम के अंतर्गत प्रशुल्क विनियमन के क्षेत्राधिकार और कार्यक्षेत्र से बाहर है ।

आदेश में प्राधिकरण द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर निम्नलिखित के कारण प्रशुल्क को अधिसूचित किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है :-

(i) सेवा प्रदान करने की सीसीटीएल की योग्यता पर अनिश्चितता, क्योंकि यह एक विशेष प्रयोजन वाहन है ।

(ii) सीएचपीटी अनुरोध ।

(iii) व्यापार जगत का अनुरोध ।

महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न, अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सीसीटीएल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसके लिए किसी प्रशुल्क अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है । यह आश्चर्यजनक है कि व्यापार जगत, जिसे टीएएमपी विनियमन से बाहर की इस सेवा से लाभ ही प्राप्त होता, ने सीसीटीएल के दृष्टिकोण का विरोध किया है । किसी भी हालत में और किसी भी परिवर्तित स्थिति में सीएचपीटी अथवा व्यापार जगत का अनुरोध प्रशुल्क अधिसूचना के लिए कारण नहीं होना चाहिए । चूंकि, इस सेवा के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी किया जाना आवश्यक नहीं है, इसलिए दर अनधिसूचित की जा सकती है ।

विश्लेषण

सीसीटीएल पत्तन क्षेत्र के बाहर ढुलाई सुविधाजनक बनाने के लिए अपने ग्राहकों को आबद्ध ट्रक सेवा उपलब्ध कराता है । सीसीटीएल अपनी स्थिति पर कायम है कि वह 'पत्तन क्षेत्र के बाहर' ढुलाई करने के लिए अपनी आबद्ध ट्रक सेवा प्रदान करता है।

इस स्थिति की समीक्षा करने पर ऐसा दिखाई देता है कि सीमा-शुल्क बांड के अंतर्गत सीसीटीएल द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की ढुलाई का कार्य एक सामान्य कार्य है जो कि किसी भी निजी निकासी एवं अग्रेषण एजेंट द्वारा किया जा सकता है । इस प्रकार, महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत पत्तन न्यास अथवा वहां पर प्रचालनरत निजी टर्मिनल द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवा के रूप में इस कार्य का वर्गीकरण करना सही नहीं हो सकता । चूंकि, ग्राही प्रयोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है, इसलिए यह व्याख्या करना उचित नहीं होगा

कि ऐसी सेवाएं स्वतः ही इस प्राधिकरण के नियामक निरीक्षण के अंतर्गत आ जाएंगी ।

इसलिए, सीसीटीएल द्वारा प्रदत्त आबद्ध ट्रक सेवा धारा 42 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती । यदि कोई सेवा धारा 42 के अंतर्गत नहीं आती है तो इस संबंध में वसूल किए जाने वाले प्रशुल्क हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित नहीं हो सकता ।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर सीसीटीएल के दरों के मान में खंड 4.8 और 4.9 के अंतर्गत आबद्ध ट्रक सेवा के लिए अधिसूचित दरें हटाई जाती हैं । आबद्ध ट्रक सेवा से वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए उत्पन्न अनुमानित आय को संबंधित वर्षों के लिए कुल अनुमानित आय में शामिल नहीं किया जाता है । पूरी तरह से ध्यान रखते हुए यह उल्लेखनीय है कि संबंधित प्रशुल्क मद को हटाने के निर्णय को सीसीटीएल द्वारा प्रदत्त सेवा का इस प्राधिकरण का आकस्मिक अनुमोदन नहीं माना जाना चाहिए । यह लाइसेंसदाता प्राधिकरण अर्थात सीएचपीटी को सुनिश्चित करना है कि क्या उसका लाइसेंसधारक उसके द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य कर रहा है ।

(vii) **पत्तन पर आरोप्य कारणों से किसी तर्कसंगत स्तर से आगे विलंबों के लिए पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान न किया जाना :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14 (xvi)(ख) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

(क) दक्षता-संबद्ध प्रशुल्क मॉडल :

हमारे अनुरोधों के बावजूद प्राधिकरण ने पत्तन पर आरोप्य कारणों से तर्कसंगत स्तर से आगे विलंबों के लिए पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान न किए जाने हेतु अनिवार्य प्रावधान शामिल किए हैं । तथापि, हमारे अनुरोधों के मद्देनजर प्राधिकरण ने सीसीटीएल से पहले ही शामिल दंड और पुरस्कार योजना के साथ एक उपयुक्त दक्षता-संबद्ध प्रशुल्क मॉडल प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है । सीसीटीएल ने ग्राहकों के साथ विचार-विमर्श आरंभ कर दिया है । ग्राहक पुरस्कार एवं दंड योजना पर विचार करने के इच्छुक हैं। तथापि, जहाज के आकार और किस्म पर निर्भर करते हुए वास्तविक करार प्रत्येक ग्राहक के अनुसार अलग-अलग होगा । इसके मद्देनजर, प्राधिकरण सीसीटीएल के दरों के मान में निम्नलिखित शामिल कर सकता है :-

''न्यूनतम बेंचमार्क उत्पादकता स्तर के संबंध में ग्राहकों और सीसीटीएल के बीच निष्पन्न परस्पर करार के आधार पर एक कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना लागू होगी । गैर-कार्यनिष्पादन के लिए सहमत दक्षता-संबद्ध प्रोत्साहन/दंड प्रकाशित टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों के +/- 10% से अधिक नहीं होगा ।

(ख) मात्रा संबंधी छूट :

(i) उभरते प्रतिस्पर्धी परिदृय के मद्देनजर और पूर्वानुमानित मात्रा प्राप्त करने के लिए सीसीटीएल को प्रतिस्पर्धा में मात्रा की हानि बचाने के लिए अपने ग्राहकों को मात्रा आधारित छूट प्रदान करनी होगी।

(ii) वर्ष 2007-08 के लिए प्रस्तावित मात्रा संबंधी छूट निम्नलिखित पर आधारित होगी :-

(क) मात्रा संबंधी छूट केवल मुख्य लाइन पोतों पर लागू होगी ।

(ख) पोतांतरण और तटीय बक्सों पर मात्रा संबंधी कोई छूट लागू नहीं होगी ।

(ग) मात्रा संबंधी छूट केवल तब लागू होगी, यदि किसी ग्राहक की गैर-पोतांतरण, गैर-तटीय मात्रा संबंधित कैलेंडर वर्ष में 1,00,000 टीईयू से अधिक हो जाती है ।

(घ) यदि उपर्युक्त को लागू किया जाता है, तो मात्रा संबंधी छूट की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी :-

टीईयू में वार्षिकीकृत थ्रूपुट (पोतांतरण और तटीय मात्रा को छोड़कर)		**अर्हक मात्रा**	**लागू छूट का %**
से	**तक**		
1	50,000	50,000	2%

50,001	75,000	25,000	4%
75,001	100,000	25,000	5%
100,001	125,000	25,000	7%
125,001	150,000	25,000	8%
150,001	175,000	25,000	9%
175,001	अधिक	150,000 से अधिक	10%

यह प्राधिकरण उपर्युक्त छूट संरचना को दरों के मान में शामिल कर सकता है ।

(iii) ग्राहकों और सीसीटीएल के बीच निष्पन्न परस्पर करार के आधार पर किसी छूट संबंधी संरचना पर सहमति हो सकती है, जिसमें अधिकतम छूट प्रकाशित टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों के 10% से अधिक नहीं होगी ।

विश्लेषण

(क) प्रयोक्ताओं के साथ आयोजित सूचित किए गए सीसीटीएल के विचार-विमर्श के विस्तृत ब्योरे इस प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना के संबंध में भारतीय नौवहन निगम द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सीसीटीएल के विचारों का भी हमें कोई लाभ नहीं मिला है । जैसाकि सीएचपीटी द्वारा सही उल्लेख किया गया है कि सीसीटीएल ने उक्त योजना के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है । प्रथम दृष्टया, यह प्राधिकरण मामला प्रति मामला आधार पर उत्पादकता बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए सीसीटीएल को अनिर्देशित विवेकाधिकार की अनुमति देने वाली योजना का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है । इस प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक ही प्रकार के सभी ग्राहकों के साथ बिना किसी पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए । हालांकि, यह प्राधिकरण कार्यकुशलता-संबद्ध प्रशुल्क व्यवस्था की अवधारणा को बढ़ावा देता है, लेकिन कार्यकुशलता मापन हेतु इस प्राधिकरण द्वारा आधार पहले ही नियत किया जाना चाहिए ।

(ख) प्रस्तावित नई मात्रा संबंधी छूट योजना में तटीय और पोतांतरण मात्रा शामिल नहीं है और प्रयोक्ता इस योजना को केवल मुख्य लाइन पोतों तक के लिए प्रतिबंधित करने का विरोध कर रहे हैं । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि सीसीटीएल ने समीक्षा आवेदन पर सामान्यतया प्रयोक्ताओं की टिप्पणियों पर और विशेषकर प्रस्तावित मात्रा संबंधी छूट योजना पर सीईपीएसएए द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है । सीसीटीएल द्वारा मात्रा संबंधी छूट योजना लागू करने के वित्तीय निहितार्थ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

कार्यनिष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना और मात्रा संबंधी छूट योजना नए प्रस्ताव हैं । संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 3.3.1 में इस प्राधिकरण को संबंधित कार्यवाहियों में विचारित रिकार्डों में दर्ज स्पष्ट त्रुटियों की सीमित सीमा तक किसी प्रशुल्क आदेश की समीक्षा करने के लिए समीक्षा आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकार प्राप्त है । नए प्रस्तावों पर इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समीक्षा पद्धति नहीं अपनाई जानी चाहिए । इसलिए, सीसीटीएल को परामर्श दिया जाता है कि पहले ही शामिल दंड और पुरस्कार योजना तथा मात्रा संबंधी छूट योजना के साथ, यदि यह ऐसा चाहता है, दक्षता-संबद्ध प्रशुल्क मॉडल के लिए अलग से एक पूर्णतया विश्लेषित प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।

(viii) **वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना :**

मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 15.4 के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे

यह उल्लेख किया गया है कि सीसीटीएल ने संबंधित लेखा वर्ष के बंद होने के 60 दिन के भीतर अपने वार्षिक लेखे और कार्यनिष्पादन रिपोर्ट सीएचपीटी के माध्यम से इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होती है । हालांकि, ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं, जिससे सीसीटीएल को लेखापरीक्षित लेखे प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने पड़ें । सीसीटीएल लेखापरीक्षा पूरी होने पर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने हेतु सहमत है । तथापि, सीसीटीएल लेखे सीएचपीटी के माध्यम से न होकर बल्कि टीएएमपी को सीधे प्रस्तुत करेगा, क्योंकि लाइसेंस

करार में सीसीटीएल द्वारा वार्षिक लेखे सीएचपीटी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की गई है । सीएचपीटी राजस्व और निवेशों के संबंध में नियमित लेखापरीक्षा करता रहता है, जिनके लिए सीसीटीएल उन्हें लेखापरीक्षित लेखे के संबंधित अंशों के उद्धरणों के साथ-साथ अपेक्षित ब्योरे उपलब्ध कराता रहा है । इसलिए, सीएचपीटी के माध्यम से लेखे प्रस्तुत करने और टीएएमपी को लेखे प्रस्तुत करने की 60 दिन की समय-सीमा की शर्त हटाई जाए और इसे लेखे की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद तत्काल प्रस्तुत करने में परिवर्तित कर दिए जाएं ।

विश्लेषण

इस स्थिति पर विचार करते हुए कि सीसीटीएल एक निजी टर्मिनल प्रचालक होने के नाते इस प्राधिकरण से सीधे संपर्क कर सकता है । यह प्राधिकरण सीसीटीएल के अनुरोध को स्वीकार करने और दिनांक 28 मार्च,2007 के आदेश के अंतिम पैरा में शामिल 'सीएचपीटी के माध्यम से' शब्दों को हटाने का इच्छुक है ।

तथापि, इस प्राधिकरण को अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे सीधे प्रस्तुत करने के सीसीटीएल के उस अनुरोध को स्वीकार करने से इस संबंध में लाइसेंस करार के अंतर्गत सीएचपीटी के प्रति सीसीटीएल की वचनबद्धता(ओं) का किसी प्रकार से दमन नहीं होगा।

(ix) **<u>कार्य कुशलता संबंधी लाभ</u> :**

<u>मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश के पैराग्राफ सं० 14(v)(ड)(i)(ख) के संदर्भ में सीसीटीएल द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए मुद्दे</u>

प्रत्येक लागत समूह को नियत और परिवर्तनीय लागत के रूप में अलग-अलग किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि लागत में कमी कार्यकुशलता लाभों के कारण हुई है । परिवर्तनीय लागत में प्रति इकाई लागत कमी केवल टर्मिनल की सुधरी हुई कार्यकुशलता के कारण है । प्राधिकरण से अनुरोध है कि पूर्ववर्ती परिकलनों में छूट गए इस प्रशुल्क चक्र के लिए प्रशुल्क की गणना करते समय प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यकुशलता लाभ पर भी विचार किया जाए ।

(सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत संशोधित परिकलनों में इसने 64/-रुपए प्रति टीईयू के पूर्ववर्ती दावे की तुलना में 68/-रुपए प्रति टीईयू (136/-रुपए प्रति टीईयू का 50%) का दावा किया है)

64/-रुपए प्रति टीईयू के कार्यकुशलता लाभ का दावा करने के लिए सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत परिकलन का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्रम सं०	विवरण	2002	2003	2004*	2005**
1	यातायात (टीईयू)	395952	492777	599980	700107
2	परिवर्तनीय लागत (लाख रुपए)				
(क)	अनुबंधित श्रमिक/दिहाड़ी मजदूर	125	149	122	134
(ख)	उपस्कर चालन लागत	525	850	735	993
(ग)	उपस्कर किराया	504	397	542	553
(घ)	उपस्कर किराया-एबीजी आरटीजी	357	406	-	
3	कुल परिवर्तनीय लागत	1511	1802	1399	1680
4	प्रति टीईयू परिवर्तनीय लागत	381	366	233	240
5	प्रति टीईयू औसत लागत	373		237	
6	प्रति टीईयू कुल कार्यकुशलता लाभ	(373-237)= 136 रुपए प्रति टीईयू			
7	कार्यकुशलता लाभ का सीसीटीएल हिस्सा (50%)	68/- रुपए प्रति टीईयू			

* 2004 परिवर्तनीय लागत में 5% की कमी की गई है ।
** 2005 परिवर्तनीय लागत में प्रत्येक 5% पर दो बार कमी की गई है ।

विश्लेषण

(i) संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.4.1 में उल्लेख किया गया है कि कार्यकुशलता के लिए बेंचमार्क पिछले प्रशुल्क चक्र में कार्यकुशलता सुधार के कारण प्राप्त वास्तविक लागत में कमी होगी ।

ऐसी लागत कमी के 50% को अनुवर्ती प्रशुल्क वैधता अवधि के लिए प्रशुल्क निर्धारित करते समय संबंधित व्यय का अनुमान लगाने के लिए हिसाब में लिया जाना है ।

(ii) कार्यकुशलता लाभ संबंधी सीसीटीएल का पूर्ववर्ती दावा वर्ष 2003 के संदर्भ में वर्ष 2004 और 2005 के दौरान किए गए औसत सुधार पर आधारित था । यह दृष्टिकोण संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.4.1 में शामिल शर्त के अनुरूप नहीं पाया गया था । उक्त दिशानिर्देश में तत्काल पूर्ववर्ती प्रशुल्क चक्र में इससे पूर्व के प्रशुल्क चक्र की तुलना में प्राप्त की गई लागत में कमी की तुलना किए जाने की अपेक्षा की गई है । तद्नुसार, सीसीटीएल को वर्ष 2002 और 2003 की अवधि के दौरान (दिनांक 6 मार्च,2002 के प्रशुल्क आदेश में शामिल) व्यय की गई वास्तविक लागत की तद्नुरूपी संबंधित मदों के साथ वर्ष 2004 और 2005 की अवधि के दौरान (दिनांक 4 मई,2004 के प्रशुल्क आदेश में शामिल) व्यय की गई लागत की मदों की तुलना करनी है ।

(iii) जब उपर्युक्त स्थिति इसके ध्यान में लाई गई सीसीटीएल ने 136/-रुपए प्रति टीईयू की लागत कमी का आकलन किया है और कार्यकुशलता लाभ के अपने हिस्से के दावे को संशोधित कर 64/-रुपए से 68/-रुपए कर दिया है । सीसीटीएल ने लागत की चार मदों की पहचान की है । वर्ष 2004 और 2005 के लिए कुल लागत के औसत तथा वर्ष 2002 और 2003 के लिए कुल लागत के औसत का आकलन कर लिया गया है और औसत कुल लागत के बीच अंतर के 50% का कार्यकुशलता लाभ के रूप में दावा किया गया है ।

(iv) ऐसा करते समय सीसीटीएल ने वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए संबंधित परिवर्तनीय लागत की अलग-अलग मदों के अनुमानन में प्राप्त की गई सूचित कमी को हिसाब में नहीं लिया है । प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.4.1 के नीचे दिए गए उदाहरण में भावी अनुमानों में कार्यकुशलता लाभ के अनुमान और गणना करने की पद्धति स्पष्ट की गई है ।

(v) कार्यकुशलता लाभ के परिकलन हेतु सीसीटीएल ने निम्नलिखित लागत मदों पर विचार किया हैः-

(क) संविदात्मक मजदूरी/दिहाड़ी मजदूरी की लागत

(ख) उपस्कर चालन लागत

(ग) उपस्कर किराया लागत

(घ) उपस्कर किराया - एबीजी आरटीजी

इन प्रत्येक मदों के विश्लेषण से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(क) <u>संविदात्मक मजदूरी/दिहाड़ी मजदूरी की लागत</u> :

संविदात्मक मजदूरी/दिहाड़ी मजदूरी लागत 'अन्य व्यय' का हिस्सा है । सीसीटीएल ने कार्यकुशलता लाभ के परिकलन को संविदात्मक/दिहाड़ी मजदूरी लागत तक सीमित कर दिया है । सीसीटीएल द्वारा

संविदात्मक/दिहाड़ी मजदूरी लागत के अंतर्गत विचारित मदें निम्नलिखित हैं :-

(i) लैशिंग कार्य के लिए श्रमिक प्रभार

(ii) सीएफएस श्रमिक

(iii) द्वार सर्वेक्षण श्रमिक

सीसीटीएल ने वर्ष 2002 और 2003 के लिए इन संबंधित शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 125 लाख रुपए और 149 लाख रुपए का व्यय सूचित किया है । चूंकि, लागत की उपर्युक्त तीन मदों के संदर्भ में इन आंकड़ों का विभाजन पूर्ववर्ती रिकार्डों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सीसीटीएल द्वारा सूचित स्थिति पर विश्वास किया जाता है ।

लागत में कमी को मापने के लिए प्रति टीईयू संविदात्मक मजदूरी/दिहाड़ी मजदूरी लागत संगत पैमाना हो सकती है । वर्ष 2002 और 2003 की तुलना में वर्ष 2004 और 2005

के दौरान प्रति टीईयू लागत में कमी को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र०सं०	**विवरण**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
(i)	यातायात (टीईयू)	395952	492777	599980	700107	829307
(ii)	संविदात्मक/दिहाड़ी मजदूरी लागत(लाख रुपए)	125	149	122*	134**	167***
(iii)	प्रति टीईयू लागत	31.57	30.24	20.33	19.14	20.16
(iv)	प्रति टीईयू औसत लागत	30.90		19.74		20.16
(v)	प्रति टीईयू लागत में कमी (रुपए) (30.90रुपए - 19.74 रुपए)	-		11.16		-

* 2004 संविदात्मक/दिहाड़ी मजदूरी लागत में 5% की कमी की गई है, ताकि इसे वर्ष 2003 के स्तर पर लाया जा सके।

** 2005 संविदात्मक/दिहाड़ी मजदूरी लागत में दो बार 5% की कमी की गई है, ताकि इसे वर्ष 2003 के स्तर पर लाया जा सके।

*** 2006 संविदात्मक/दिहाड़ी मजदूरी लागत में तीन बार 5% की कमी की गई है, ताकि इसे वर्ष 2003 के स्तर पर लाया जा सके।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002 और 2003 के लिए संगत 30.90 रुपए की औसत प्रति टीईयू लागत वर्ष 2004 और 2005 में कम होकर 19.74 रुपए रह गई है । 19.74 रुपए के इस स्तर पर प्रति टीईयू लागत कुल मिलाकर वर्ष 2006 के दौरान बनी रही है । इसलिए, व्यय की इस मद में कार्यकुशलता संबंधी प्रचालक के दावे को स्वीकार किया जाता है । वास्तविक संविदात्मक मजदूरी लागत में प्रति टीईयू 11.16 रुपए का 50% वर्ष 2006 के लिए लागत की संबंधित मद में शामिल किया गया है । वर्ष 2006 हेतु समायोजित संविदात्मक मजदूरी लागत के आधार पर वर्ष 2007 से 2009 तक के अनुमान पुनः तैयार किए गए हैं ।

(ख) <u>उपस्कर चालन लागत</u> :

उपस्कर चालन लागत में विद्युत लागत, ईंधन लागत और मरम्मत एवं रख-रखाव लागत शामिल होती है । सीसीटीएल ने अपने परिकलन में परिवर्तनीय विद्युत लागत और ईंधन लागत को शामिल किया है । विद्युत लागत और ईंधन लागत से संबंधित स्थिति पर नीचे चर्चा की गई है :-

<u>विद्युत लागत</u> :

सीसीटीएल ने उपस्कर चालन लागत के रूप में वर्ष 2002 और 2003 के लिए क्रमशः 525 लाख रुपए और 850 लाख रुपए सूचित किए हैं, जोकि परिवर्तनीय विद्युत एवं ईंधन लागत का कुल जोड़ है ।

वर्ष 2002 और 2003 के लिए परिवर्तनीय विद्युत लागत क्रमशः 231.72 लाख रुपए और 415.74 लाख रुपए है । सीसीटीएल द्वारा अपने दिनांक 6 फरवरी,2004 के पत्र द्वारा पहले सूचित के अनुसार 5/-रुपए प्रति इकाई की दर पर विचार करते हुए प्रति टीईयू इकाई की खपत क्रमशः 11.70 और 16.87 इकाई बैठती है और प्रति टीईयू औसत इकाई 14.29 है ।

वर्ष 2004 और 2005 के संदर्भ में सीसीटीएल ने पहले क्रमशः 8.64 इकाई और 7.38 इकाई बिजली खपत की सूचना दी है । वर्ष 2002 और 2003 के लिए 14.29 इकाई की तुलना में औसत इकाई 8.01 इकाई बैठती है । चूंकि, प्रति टीईयू बिजली खपत में कमी आई है, इस संबंध में कार्यकुशलता संबंधी सीसीटीएल का दावा स्वीकार किया जाता है । मार्च,2007 के प्रशुल्क आदेश में शामिल के अनुसार वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए भावी अनुमानों में 7.38 इकाई की यूनिट बिजली खपत बनाए रखी गई थी।

<u>ईंधन लागत</u> :

वर्ष 2002 और 2003 के लिए परिवर्तनीय ईंधन लागत क्रमशः 302.47 लाख रुपए और 434.01 लाख रुपए थी । सीसीटीएल द्वारा अपने आकलनों में पहले सूचित 19.24 रुपए और 19.95 रुपए की इकाई दर पर विचार करते हुए प्रति टीईयू ईंधन खपत क्रमशः 3.97 और 4.42 लीटर बैठती है और इसकी तुलना में औसत 4.195 लीटर प्रति टीईयू है, जबकि वर्ष 2004 और 2005 के लिए औसत 3.60 लीटर बैठती है ।

वर्ष 2002 और 2003 के लिए 4.20 लीटर की औसत खपत के साथ 3.60 प्रति टीईयू की औसत ईंधन खपत की तुलना करते हुए ऐसा दिखाई देता है कि प्रति टीईयू ईंधन खपत में 0.60 लीटर तक की कमी हुई है । इसे देखते हुए, इस संबंध में कार्यकुशलता की प्राप्ति हेतु सीसीटीएल का दावा स्वीकार किया जाना चाहिए । सीसीटीएल द्वारा सूचित प्रति टीईयू 3.70 इकाई की ईंधन खपत पर इस प्राधिकरण द्वारा मार्च,2007 के आदेश में विचार किया गया था । इसलिए, मार्च,2007 के आदेश में शामिल अनुमानित ईंधन खपत लागत को 3.90 लीटर की आधारभूत खपत के संदर्भ में संशोधित किया जाता है ।

(ग) उपस्कर किराया लागत :

परिवर्तनीय उपस्कर किराया प्रभार अंतर-टर्मिनल वाहन (आईटीवी) के किराए से संबंधित है। सीसीटीएल ने वर्ष 2002 और 2003 हेतु क्रमशः 504 लाख रुपए और 397 लाख रुपए की राशि सूचित की है । उपस्कर किराया मई,2004 के प्रशुल्क आदेश की लागत विवरणी में 'अन्य व्यय' का भाग था । उपस्कर किराए के रूप में सूचित व्यय 647.20 लाख रुपए और 453.94 लाख रुपए था । अन्य व्यय में शामिल उपस्कर किराया प्रभारों के लिए नियत एवं परिवर्तनीय संघटक के ब्योरों के अभाव में सीसीटीएल द्वारा सूचित स्थिति पर विश्वास किया जाता है ।

वर्ष 2002 और 2003 के लिए क्रमशः 395952 टीईयू और 492777 टीईयू के यातायात पर विचार करते हुए प्रति टीईयू लागत क्रमशः 127.29 रुपए और 80.56 रुपए और जबकि औसत लागत 103.93 रुपए बैठती है ।

वर्ष 2002 और 2003 की तुलना में वर्ष 2004 और 2005 के दौरान प्रति टीईयू लागत में कमी नीचे तालिका में दर्शायी गई है :-

क्र०सं०	विवरण	2002	2003	2004	2005	2006
(i)	यातायात (टीईयू)	395952	492777	599980	700107	829307
(ii)	आईटीवी परिवर्तनीय लागत (लाख रुपए)	504	397	541.48*	549.70**	632.81***
(iii)	प्रति टीईयू लागत (रुपए)	127.29	80.56	90.25	78.52	76.31
(iv)	प्रति टीईयू औसत लागत	103.93		84.39		76.31
(v)	प्रति टीईयू लागत में कमी (रुपए) (103.93 रुपए - 84.39 रुपए)	-		19.54		-

* 2004 उपस्कर किराए में 5% की कमी की गई है, ताकि इसे वर्ष 2003 के स्तर पर लाया जा सके।

** 2005 उपस्कर किराए में दो बार 5% की कमी की गई है, ताकि इसे वर्ष 2003 के स्तर पर लाया जा सके।

*** 2006 उपस्कर किराए में तीन बार 5% की कमी की गई है, ताकि इसे वर्ष 2003 के स्तर पर लाया जा सके।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002 और 2003 के लिए संगत 103.93 रुपए की औसत प्रति टीईयू लागत वर्ष 2004 और 2005 में कम होकर 84.39 रुपए के औसत स्तर पर रह गई है । 84.39 रुपए के इस स्तर पर प्रति टीईयू लागत वर्ष 2006 के दौरान और कम होकर 76.31 रुपए रह गई है । इसे देखते हुए, इस संबंध में सीसीटीएल का दावा स्वीकार किए जाने हेतु पात्र है । प्रति टीईयू 19.54 का 50% वर्ष 2006 के लिए वास्तविक उपस्कर किराया प्रभारों में जोड़ा गया है । वर्ष 2006 हेतु समायोजित उपस्कर किराया प्रभारों के आधार पर वर्ष 2007 से 2009 के लिए अनुमान पुनः तैयार किए गए हैं ।

(घ) उपस्कर किराया - एबीजी आरटीजी :

सीसीटीएल ने कार्यकुशलता लागत के अपने परिकलन में वर्ष 2002 और 2003 के लिए 357 लाख रुपए और 406 लाख रुपए की राशि शामिल की है । उक्त व्यय के आकलन अथवा आधार इस प्राधिकरण के रिकार्डों में उपलब्ध नहीं हैं । सीसीटीएल ने अनुवर्ती दो वर्षों 2004 और 2005 के लिए लागत की इस मद पर विचार नहीं किया है । उपर्युक्त के मद्देनजर, लागत की यह मद कार्यकुशलता के परिकलन हेतु संगत दिखाई नहीं देती है ।

(vi) सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत कार्यकुशलता लाभ हेतु परिकलन के अनुसार कुल कार्यकुशलता लाभ 136 रुपए प्रति टीईयू बैठता है, जैसाकि कार्यकुशलता लाभ संबंधी पैराग्राफ के नीचे दी गई पहली तालिका में दर्शाया गया है । उस स्थिति में, सीसीटीएल का हिस्सा 136 रुपए का 50% होगा, जोकि 68 रुपए प्रति टीईयू है । वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए 25, 29,819 टीईयू के यातायात की अनुमानित मात्रा के संबंध में सीसीटीएल का 50% हिस्सा 1720.27 लाख रुपए बैठता है ।

वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए व्यय की संबंधित मदों के अनुमानों में कार्यकुशलता लाभ का 50% शामिल करने के कारण वृद्धिकारी कारक को शामिल करने के बाद सीसीटीएल को 1108.80 लाख रुपए का लाभ अर्जित होने का अनुमान है । यदि वृद्धि के प्रभाव को शामिल न किया जाए, सीसीटीएल को अर्जित होने वाला लाभ इसके 1720.27 लाख रुपए के दावे की तुलना में 1004 लाख रुपए होगा । 757 लाख रुपए का अंतर उपर्युक्त पैराग्राफ (घ) में स्पष्ट किए गए कारणों और हमारे द्वारा परिकलित अनुमानित लाभ के पूर्णांकन और सन्निकट के कारण एबीजी आरटीजी के लिए उपस्कर किराया प्रभारों के तौर पर वर्ष 2002 और 2003 के लिए क्रमशः 357 लाख रुपए और 406 लाख रुपए की सूचित परिवर्तनीय लागत को शामिल न करने के कारण उत्पन्न हुआ है ।

11.1. ऊपर दिए गए विश्लेषण के आलोक में वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए अनुमानित लागत स्थिति को निम्नलिखित मदों के संबंध में संशोधित किया जाना है ।

(लाख रुपए)

क्र०सं०	**विवरण**	**2007**	**2008**	**2009**	**जोड़**
1.(क)	42/-रुपए प्रति अमरीकी डॉलर की विनिमय दर में कमी के कारण डॉलर मूल्यवर्गित प्रशुल्क पर आधारित प्रचालन आय में कमी	(2.50)	(2.53)	(2.05)	(7.08)
(ख)	आबद्ध ट्रक सेवा से आय में कमी के कारण प्रचालन आय में कमी	(32.76)	(34.40)	(36.12)	(103.28)
2.(क)	5.40% के वृद्धिकारी कारक की उच्चतर दर की अनुमति देने के कारण प्रचालन खर्चों में वृद्धि	(51.11)	(63.39)	(95.57)	(210.07)
(ख)	42/-रुपए प्रति अमरीकी डॉलर की विनिमय दर के संशोधन के कारण प्रचालन खर्चों में कमी	28.69	28.44	29.64	86.77
3.	अनुमानों (कार्यकुशलता लाभ) में लागत में कमी का 50% शामिल करने के कारण प्रचालन खर्चों में वृद्धि	(372.58)	(397.24)	(338.99)	(1108.80)
4.	उपस्करों का डब्ल्यूडीवी शामिल न करने के कारण और 42/-रुपए प्रति अमरीकी डॉलर की विनिमय दर के संशोधन के कारण भी सीसीटीएल द्वारा प्राप्य अंत्य मूल्य में कमी	(110.70)	(124.28)	(139.44)	(374.42)
5.(क)	16% की उच्चतर दर पर आरओसीई की अनुमति देने के कारण आय में वृद्धि	(417.07)	(387.09)	(379.10)	(1183.26)
(ख)	पूर्व भुगतानों की कार्यशील पूंजी के हिस्से के रूप में अनुमति देने के कारण आय में वृद्धि	(103.02)	(102.87)	(102.76)	(308.64)
		(1061.05)	(1083.36)	(1064.39)	(3208.80)

11.2. दिनांक 28 मार्च,2007 के आदेश की लागत विवरणी को तद्नुसार संशोधित कर दिया गया है और संशोधित लागत विवरणी **<u>अनुबंध-I</u>** के रूप में संलग्न है । लागत विवरणी द्वारा प्रकट किया गया परिणाम यहां नीचे दी गई तालिका में सारांश में दर्शाया गया है :-

सीसीटीएल के परिणामों का सारांश

क्र०सं०	**विवरण**	**प्रचालन आय (करोड़ रुपए)**	**निवल घाटा(-) (करोड़ रुपए)**	**प्रचालन आय के प्रतिशत के रूप में निवल घाटा(-)**

		2007	2008	2009	जोड़	2007	2008	2009	जोड़	2007	2008	2009
1	समग्र सीसीटीएल	228.79	230.72	186.33	645.84	-6.28	-6.67	-34.04	-46.99	-2.75%	-2.89%	-18.27%

मार्च,2007 के अपने आदेश में इस प्राधिकरण ने वर्ष 2007 और 2008 के लिए प्रशुल्क स्तरों में यथास्थिति बनाए रखने और यदि आवश्यक हुआ, वर्ष 2009 के लिए किसी प्रशुल्क समायोजन पर दर्ज किए गए कारणों से बाद में किसी समय पर विचार करने का निर्णय किया था ।

इस कार्यवाही में वर्ष 2007 और 2008 के लिए निवल घाटे को शामिल करने हेतु हिसाब में लिया गया है । वर्ष 2009 के संबंध में 10.64 करोड़ रुपए का वृद्धिकारी घाटा शामिल किया गया है ।

चूंकि, पूर्ववर्ती आदेश मई,2007 के मध्य में प्रभावी हुआ था, इसलिए इस समीक्षा के कारण उस संगत अवधि के लिए उत्पन्न घाटा 2098.33 लाख रुपए बैठता है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :-

	(लाख रुपए)
जून,2007 से जुलाई,2008 तक की अवधि के लिए घाटा	755.88
अगस्त,2008 से दिसंबर,2008 तक की अवधि के लिए घाटा	278.06
वर्ष 2009 के लिए वृद्धिकारी घाटा	1064.39
प्रशुल्क में वृद्धि करके सीसीटीएल द्वारा वसूल किया जाने वाला घाटा	2098.33

यदि यह घाटा प्रशुल्क में वृद्धि द्वारा पूरा किया जाना है, तब देय तद्नुरूपी राजस्व हिस्सा बढ़ जाएगा । सरकारी निदेशों के अनुसार राजस्व हिस्से का आंशिक पास-थ्रू अनुमत्य है, क्योंकि प्रशुल्क वृद्धि द्वारा 28.74 करोड़ रुपए का अनुमानित अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाना चाहिए ।

इस प्राधिकरण को किसी प्रशुल्क वृद्धि को भावी प्रभाव से लागू करने में सुविधा होती है, क्योंकि पूर्व-प्रभाव से किए गए संशोधन के कारण बिल संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं और प्रयोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 28.74 करोड़ रुपए के अनुमानित अतिरिक्त राजस्व को समायोजित करने के लिए मौजूदा प्रशुल्क में 1 अगस्त,2008 से वर्तमान प्रशुल्क वैधता चक्र के अंत अर्थात 31 दिसंबर,2009 तक के लिए 10.17% की वृद्धि किया जाना आवश्यक है । यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि सीसीटीएल ने इसकी याचिका का अंतिम निपटान होने तक प्रशुल्क में 7.5% की अंतरिम वृद्धि करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस प्राधिकरण ने ऐसी किसी अंतरिम राहत की अनुमति नहीं दी है ।

12.1. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों तथा समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण सीसीटीएल के मौजूदा प्रशुल्क में 1 अगस्त,2008 से 10% की वृद्धि करने का निर्णय करता है । सीसीटीएल का संशोधित दरों का मान **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है ।

12.2 दिनांक 28 मार्च,2007 के आदेश के अंतिम पैराग्राफ सं० 15.4 में उल्लिखित 'इस प्राधिकरण' शब्दों से पहले ''सीएचपीटी के माध्यम से'' शब्दों को हटाया जाता है ।

12.3. खंड 1.20 में उल्लिखित 'आबद्ध ट्रक सेवा' की परिभाषा हटाई जाती है और अनुवर्ती खंड का पुनः क्रमांकन किया गया है । आबद्ध ट्रक सेवा प्रभारों की वसूली को शासित करने वाले सीसीटीएल के दरों के मान के खंड 4.8 और 4.9 को दिनांक 28मार्च,2007 के पूर्ववर्ती आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख से हटाया जाता है ।

(ब्रहम दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं० टीएएमपी/45/2007-सीसीटीएल

चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) ------- आवेदक

आदेश

(जून, 2008 के 19वें दिन पारित किया गया)

यह मामला चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) से प्राप्त उनके दिनांक 7 जून,2007 के आवेदन से संबंधित है, जिसमें मार्च,2007 में अनुमोदित इसके प्रशुल्क की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है ।

2. इस प्राधिकरण ने सीसीटीएल से प्राप्त इसके दरों के मान (एसओआर) की सामान्य समीक्षा करने हेतु प्रस्ताव का निपटान करते हुए 28 मार्च,2007 को एक आदेश पारित किया था । यह आदेश भारत के राजपत्र में 18 अप्रैल,2007 को अधिसूचित किया गया था । अनुमोदित दरों का मान 17 मई,2007 से प्रभावी हुआ था ।

2.2. मार्च,2007 में सीसीटीएल के दरों के मान की सामान्य समीक्षा के समय 3 कैलेंडर वर्षों यथा; 2007 से 2009 तक के लिए अनुमानित वित्तीय/लागत स्थिति में क्रमशः वर्ष 2007 और 2008 के लिए 1.89% और 1.80% का अधिशेष तथा वर्ष 2009 के लिए 12.53% का घाटा दर्शाया गया था । वर्ष 2009 के लिए घाटा शुद्धतया वर्ष 2009 तक सीएचपीटी में चालू (किए जाने वाले) दूसरे टर्मिनल की ओर यातायात के संभावित विपथन के कारण था । चूंकि, दूसरे टर्मिनल के बारे में स्थिति वर्ष 2008 के उत्तरवर्ती हिस्से में ही स्पष्ट हो पाएगी, इसलिए इस प्राधिकरण ने वर्ष 2007 और 2008 के लिए प्रशुल्क स्तर की यथास्थिति बनाए रखी तथा वर्ष 2009 के लिए किसी प्रशुल्क समायोजन के बारे में बाद में विचार करने का निर्णय किया था ।

3.1. उक्त प्रशुल्क आदेश के संदर्भ में सीसीटीएल ने अपने दिनांक 7 जून,2007 के पत्र द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर इसके प्रशुल्क की समीक्षा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

(i) नियोजित पूंजी पर आय 15% के स्थान पर 16% मानी जाए ।

(ii) व्यय संबंधी पूर्वानुमानों के लिए मुद्रास्फीति दर 5% के स्थान पर 5.4% मानी जाए ।

(iii) प्रशुल्क निर्धारण हेतु विनिमय दर प्रति एक अमरीकी डॉलर के लिए 44.18 रुपए के स्थान पर प्रति एक अमरीकी डॉलर के लिए 41.73 रुपए मानी जाए ।

(iv) कार्य कुशलता संबंधी लाभ ।

(v) अंत्य मूल्य ।

(vi) (क) कार्यशील पूंजी में विविध उधारकर्त्ताओं को शामिल करना ।

(ख) कार्यशील पूंजी में किराए और रॉयल्टी के रूप में सीएचपीटी को किए जाने वाले पूर्व-भुगतानों पर विचार करना ।

(vii) आबद्ध ट्रक-सेवा के लिए निर्धारित प्रभारों को अनधिसूचित करना ।

(viii) कार्यनिष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना लागू करना ।

(ix) मात्रा संबंधी छूट योजना लागू करना ।

(x) सीएचपीटी के माध्यम से वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना ।

3.2. उपर्युक्त अनुरोधों के आधार पर सीसीटीएल ने सभी तीन वर्षों के लिए घाटे की स्थिति की गणना की है और 2007 से 2009 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रशुल्क में 14% की वृद्धि करने का अनुरोध किया है । सीसीटीएल ने मात्राओं में कमी की स्थिति में प्रशुल्क चक्र की समाप्ति से पहले ही समीक्षा करने के अनुरोध के विकल्प के साथ 7.50% की वृद्धि करते हुए अंतरिम राहत पर भी विचार करने का अनुरोध किया है ।

[सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत लागत विवरण के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रचालन आय के प्रतिशत के रूप में औसत निवल घाटा 10.68% बैठता है ।]

3.3 संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 3.3.1 में निर्धारित के अनुसार, प्रशुल्क आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा आवेदन भारत के राजपत्र में अधिसूचना के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए । सीसीटीएल आदेश दिनांक 18.4.2007 को
अधिसूचित किया गया था और सीसीटीएल ने अपना समीक्षा आवेदन दिनांक 7.6.2007 को प्रस्तुत किया था । एक अच्छे आदेश के हित में सीसीटीएल का समीक्षा आवेदन स्वीकार कर लिया गया था, हालांकि सीसीटीएल द्वारा समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था ।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रियाविधि के अनुसार, सीसीटीएल के समीक्षा आवेदन की एक प्रति सीएचपीटी और संबंधित प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों हेतु अग्रेषित की गई थी ।

5. प्रयोक्ता संगठनों की टिप्पणियां सीसीटीएल को पुनः सूचना (फीडबैक) के रूप में अग्रेषित की गई थीं। इस संबंध में हमें सीसीटीएल से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

6.1. हमने अपने दिनांक 16 मई,2008 के पत्र द्वारा सीसीटीएल और सीएचपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था । सीसीटीएल ने अपने दिनांक 19 मई,2008 के पत्र द्वारा प्रत्युत्तर दिया है । हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

क्र०सं० हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण

(i) <u>अंत्य मूल्य</u>

(क) दिनांक 28 मार्च,2007 के आदेश में विचारित लाइसेंस करार (एलए) के अनुसार सीसीटीएल द्वारा प्राप्य बट्टागत अंत्य मूल्य में 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि के अंत में नियत परिसंपत्तियों का बट्टागत अनुमानित अवशिष्ट मूल्य शामिल होता है । लाइसेंस अवधि के अंत में 59.90 करोड़ रुपए की नियत परिसंपत्तियों की अवशिष्ट मूल्य राशि वर्ष 2002 में इसके प्रशुल्क के नियतन के समय पर सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत 30 वर्ष की विवरणी से ली गई थी ।

(ख) सीसीटीएल ने एक नया तथ्य प्रस्तुत किया है कि चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) और सीसीटीएल के बीच लाइसेंस करार के अनुच्छेद 13.06 (ग) के अनुसार पांच वर्ष से कम के शेष जीवन-काल वाली परिसंपत्तियों के लिए इसे कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी ।

(ग) सीसीटीएल ने इसके द्वारा पहले प्रस्तुत 30 वर्ष की विवरणी के आधार पर रिआयत अवधि के दौरान नियत परिसंपत्तियों में किए जाने वाले निवेश के संबंध में एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करना था। इस विश्लेषण में रिआयत अवधि के अंत में उपलब्ध नियत परिसंपत्तियों की विभिन्न श्रेणियों के शेष जीवन-काल और मूल्य का उल्लेख किया जाना था ।

(ii) <u>कार्यकुशलता संबंधी लाभ</u>

(क) संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.4.1 में यह उल्लेख किया गया है कि कार्यकुशलता के लिए बेंचमार्क पूर्ववर्ती प्रशुल्क चक्र में कार्यकुशलता में सुधार के कारण प्राप्त लागत में वास्तविक कमी होगा । लागत में ऐसी कमी का 50% अनुवर्ती प्रशुल्क वैधता अवधि के लिए प्रशुल्क नियत करते समय संबंधित व्यय का अनुमान लगाने हेतु शामिल किया जाना है । कार्यकुशलता लाभ के लिए सीसीटीएल का दावा वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 एवं 2005 के लिए औसत इकाई परिवर्तनीय लागत के बीच तुलना पर आधारित है । सीसीटीएल द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.4.1 में किए गए उल्लेख के संदर्भ में संतोषजनक दिखाई नहीं देता है ।

(ख) सीसीटीएल द्वारा यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि कार्यकुशलता सुधार के प्रभाव ने प्रशुल्क संशोधन की कार्यवाही में विचारित वर्ष 2007, 2008 और 2009 के लिए व्यय की संबंधित मदों की अनुमानित लागत में कमी की है । वस्तुतः, सीसीटीएल ने वर्ष 2006 को आधार मानते हुए वृद्धिकारी कारक को लागू करते हुए वर्ष 2007 से 2009 के लिए व्यय की संबंधित मदों का अनुमान लगाया था । वर्ष 2009 तक के लिए प्रशुल्क वैधता चक्र के दौरान प्रयोक्ताओं को उपलब्ध होने वाले कार्यकुशलता सुधार के लाभ सीसीटीएल द्वारा पहले ही सुनिश्चित किए जाने चाहिए ।

(ग) इस पृष्ठभूमि में, सीसीटीएल ने वर्ष 2002 और 2003 के दौरान खर्च की गई वास्तविक परिवर्तनीय लागत की संबंधित मदों (दिनांक 6 मार्च,2002 के प्रशुल्क आदेश में शामिल) के तद्नुरूपी वर्ष 2004 और 2005 की अवधि के दौरान खर्च की गई वास्तविक परिवर्तनीय लागत की संबंधित मदों (दिनांक 4 मई,2004 के प्रशुल्क आदेश में शामिल) की तुलना दर्शाते हुए आकलनों के साथ एक विश्लेषण प्रस्तुत करना है । यदि परिवर्तनीय लागत की संबंधित मदों में लागत में कोई कमी दिखाई देती है, तो ऐसी लागत कमी का 50% वर्ष 2007, 2008 और 2009 के लिए पूर्वानुमानित परिवर्तनीय लागत की तद्नुरूपी संबंधित मदों के अनुमान में शामिल किया जाना है। दिनांक 28 मार्च,2007 के आदेश द्वारा इसके प्रशुल्क की समीक्षा के लिए सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनीय लागत की विभिन्न मदों के अनुमानों को उचित रूप में संशोधित किया जाना है।

सीसीटीएल का प्रत्युत्तर

सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत 30 वर्ष की विवरणी में नियत परिसंपत्तियां शामिल थीं, जोकि रिआयत के उत्तरवर्ती हिस्से के दौरान अर्जित की गई थीं और उनका शेष जीवन-काल पांच वर्ष से भी कम था । मौजूदा प्रशुल्क चक्र में, सेवाएं प्रदान करते समय तैनात और तैनात की जाने वाली सभी परिसंपत्तियां रिआयत के अंत तक अपना उपयोगी जीवन-काल पूरा कर लेंगी और इसलिए अंत्य मूल्य का आकलन करने हेतु इन पर विचार नहीं किया गया है ।

सीसीटीएल ने अपने 26 अक्तूबर,2006 के पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया था ।

भविष्य में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेशों पर इस प्रशुल्क चक्र में शेष मूल्य के समायोजन पर विचार नहीं किया जा सकता । सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों में समतुल्य की अवधारणा के अनुसार भी भावी निवेशों और संबद्ध अवशिष्ट मूल्य का परिकलन मौजूदा प्रशुल्क चक्र में संगत नहीं है । इस प्रकार, प्रसतावित चक्र हेतु प्रशुल्क नियतन में इस प्राधिकरण द्वारा मांगा गया विश्लेषण संगत नहीं है । यह भी अनुरोध है कि अवशिष्ट मूल्य परिकलन हेतु अमरीकी डॉलर की मौजूदा विनिमय दर पर विचार किया जाए ।

दिशानिर्देशों के खंड 2.4.1 में ''वास्तविक लागतों'' पर विचार किया गया है और लागतों में नियत एवं परिवर्तनीय लागतों के रूप में विभेद करना अपेक्षित नहीं है । दिशानिर्देश का आशय उच्चतर प्रमात्राओं के प्रहस्तन सहित 'कार्यकुशलता सुधार' के लाभ प्रदान करना है । सीसीटीएल ने उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा उच्चतर प्रमात्राओं का प्रहस्तन किया है और उच्चतर क्षमता उपयोग प्राप्त किया है । विगत कार्यनिष्पादन का औसत लागत अनुमानों में दिखाई देता है, जोकि वास्तविक है और टीएएमपी को पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं । इस प्रकार, सीसीटीएल द्वारा पहले उपलब्ध कराया गया कार्यकुशलता लाभ संबंधी परिकलन दिशानिर्देशों के अनुरूप है ।

जैसाकि प्राधिकरण द्वारा पहले उल्लेख किया गया है कि कार्यकुशलता में सुधार और अन्य कारणों से प्राप्त लागत में कमी को अलग-अलग किया
जाए, सीसीटीएल ने नियत लागतों और परिवर्तनीय लागत को अलग-अलग किया था तथा गत वर्षों के लिए प्रति इकाई लागत भी प्रस्तुत की थी, जोकि प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत में कमी को स्पष्टतः दर्शाती है । प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत में कमी कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार के बिना संभव नहीं है । इसलिए, कार्यकुशलता लाभ में 129/-रुपए प्रति टीईयू के हिस्से का सीसीटीएल का दावा बिल्कुल सही है और संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.4.1 के अनुरूप है ।

यह स्पष्टतः सिद्ध किया गया है कि परिवर्तनीय लागत वर्ष 2003 में 365/-रुपए प्रति टीईयू से कम होकर वर्ष 2004 और 2005 में 256/- रुपए प्रति टीईयू रह गई है । सीसीटीएल का मत है कि यह दर्शाने के लिए किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं है कि दिशानिर्देशों के अनुसार लागत में कमी कार्यकुशलता में सुधार के कारण है ।

वर्ष 2007 से 2009 तक के लिए लागत अनुमानों का परिकलन करने हेतु वर्ष 2006 की संशोधित प्रचालन लागत को आधार माना गया है । इसके परिणामस्वरूप, पिछले प्रशुल्क चक्र में परिवर्तनीय लागत की तुलना में परिवर्तनीय लागत काफी कम रही है, जिसका मुद्रास्फीति कारक में विधिवत समायोजन किया गया है । इस प्रकार, लागत में कमी का वास्तविक लाभ व्यापार जगत को पहले ही प्रदान किया जा चुका है । पिछले चक्र के संबंध में टर्मिनल प्रचालक को देय कार्यकुशलता लाभों का दावा दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा चक्र में व्यापार जगत से वसूल किए जाने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 2002 के लिए वास्तविक लागत आकलन अद्यतन कर दिए गए हैं । वस्तुतः, वर्ष 2004 और 2005 की तुलना में वर्ष 2002 और 2003 के लिए प्रति इकाई औसत परिवर्तनीय लागत के आधार पर कार्यकुशलता लाभ 129/-रुपए प्रति टीईयू के सीसीटीएल के पूर्ववर्ती दावे की तुलना में 137/-रुपए प्रति टीईयू के उच्चतर स्तर पर है । यह अनुरोध है कि दिशानिर्देशों की भावना के अनुसार उपयुक्त कार्यकुशलता लाभों पर विचार किया जाए ।

दिशानिर्देश 2.4.1 में इस पद्धति के ब्योरे विशेषतः देने के लिए नहीं कहा गया है, जिसमें टर्मिनल प्रचालक लागत में कमी प्राप्त करता है । इसलिए, लागत कमी की विशिष्ट मद के ब्योरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

मुद्रास्फीति के बावजूद भी सीसीटीएल प्रचालन की इकाई लागत में कमी ला सका है । प्रशुल्क के संदर्भ में यह प्रत्यक्ष लाभ प्रयोक्ताओं को प्रदान किया गया है । यह अनुरोध है कि दिशानिर्देशों की भावना के अनुसार उपयुक्त कार्यकुशलता लाभों पर विचार किया जाए ।

अनुबंध-I

चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड

निजी टर्मिनल हेतु समेकित आय एवं लागत विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	विवरण	वास्तविक			मार्च,2007में सीसीटीएल हेतु प्रशुल्क नियत करते समय हमारे द्वारा विचारित अनुमान			समीक्षा के बाद अनुमान		
		2004	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2007**	**2008**	**2009**
	यातायात (एमटी/टीईयू)	**599,980**	**700,107**	**829,307**	**914,952**	**865,521**	**749,346**	**914,952**	**925,521**	**749,346**
I	**कुल प्रचालन आय**									
	कंटेनर प्रहस्तन आय	17,408.88	18,756.36	21,652.00	22,914.40	23,109.01	18,671.12	22,879.14	23,072.08	18,632.95
	जोड़	**17,408.88**	**18,756.36**	**21,652.00**	**22,914.40**	**23,109.01**	**18,671.12**	**22,879.14**	**23,072.08**	**18,632.95**
II	**प्रचालन लागत (मूल्यह्रास को छोड़कर)**									
	प्रचालन एवं प्रत्यक्ष श्रमिक	564.84	540.98	684.00	733.87	770.56	809.09	736.58	775.56	817.71
	अनुरक्षण मजदूरी	211.85	276.39	381.00	400.05	420.05	441.06	401.57	423.26	446.11
	उपस्कर चालन लागत	1,539.47	1,666.04	2,147.00	2,435.19	2,580.41	2,298.74	2,665.66	2,832.53	2,519.33
	रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा	4,700.40	5,064.22	5,846.04	6,186.89	6,239.43	5,041.20	6,177.37	6,229.46	5,030.90
	उपस्कर किराया	642.16	665.45	828.00	952.29	1,021.16	871.75	1,055.94	1,124.55	981.53
	पट्टा किराया	881.59	881.59	881.59	881.59	881.59	881.59	881.59	881.59	881.59
	बीमा	150.48	153.09	203.00	233.58	240.56	245.97	221.02	227.66	232.82
	अन्य व्यय	240.63	355.17	391.00	444.27	470.85	417.91	525.36	559.10	494.95
	तकनीकी सेवा शुल्क	0.00	0.00	291.00	275.99	270.16	219.06	269.62	264.88	213.15
	जोड़	**8,931.41**	**9,602.91**	**11,652.63**	**12,543.72**	**12,894.77**	**11,226.37**	**12,934.72**	**13,318.60**	**11,618.08**
III	**मूल्यह्रास**	2,209.84	2,240.46	2,470.00	2,747.97	3,019.44	3,085.81	2,747.97	3,019.44	3,085.81
IV	**उपरिव्यय**									
	प्रबंध एवं प्रशासन उपरिव्यय	161.72	192.60	288.00	316.47	332.29	348.91	317.69	334.84	352.92
	सामान्य उपरिव्यय	518.25	711.20	693.00	727.65	764.03	802.23	730.42	769.86	811.44
	प्रारंभिक व्यय	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28	38.28
	जोड़	**718.26**	**942.08**	**1,019.28**	**1,082.40**	**1,134.60**	**1,189.42**	**1,086.39**	**1,142.99**	**1,202.64**
V	**प्रचालन अधिशेष/(घाटा)** (i)-(II)-(III)-(iv)	**5,549.38**	**5,970.91**	**6,510.09**	**6,540.31**	**6,060.20**	**3,169.52**	**6,110.06**	**5,591.06**	**2,726.42**
VI	वित्त एवं विविध व्यय									
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर आय	20.47	1.78	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	रिआयत करार के अनुसार	83.87	93.93	105.21	111.48	125.15	140.42	0.78	0.87	0.98

	छूटात्मक अंतिम मूल्य प्राप्ति									
	अन्य	33.91	383.81	63.00	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60
	जोड़	**138.25**	**479.52**	**209.98**	**126.08**	**139.75**	**155.02**	**15.38**	**15.47**	**15.58**
VII	**वित्त एवं विविध व्यय**									
	विदेशी मुद्रा ऋणों की वापसी अदायगी पर हानि	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	**284.87**	**54.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII	**एफएमआई में से एफएमई घटाने पर (vi)-(vii)**	**(146.62)**	**425.51**	**209.98**	**126.08**	**139.75**	**155.02**	**15.38**	**15.47**	**15.58**
IX	**ब्याज-पूर्व अधिशेष (v)+(viii)**	**5,402.75**	**6,396.42**	**6,720.07**	**6,666.40**	**6,199.93**	**3,324.54**	**6,125.44**	**5,606.53**	**2,742.00**
X	**वित्तपोषण प्रभार**	1,594.21	1,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	**ब्याज-पश्च निवल अधिशेष**	**3,808.54**	**4,579.70**	**6,720.07**	**6,666.40**	**6,199.93**	**3,324.54**	**6,125.44**	**5,606.53**	**2,742.00**
XII	**नियोजित पूंजी**	32,739.81	37,011.40	38,339.45	41,707.84	38,708.75	37,909.80	42,351.66	39,351.70	38,552.04
XIII	**नियोजित पूंजी पर आय**	2,547.96	2,591.02	5,750.92	6,256.18	5,806.31	5,686.47	6,776.27	6,296.27	6,168.33
XIV	**क्षमता उपयोग**	85.71%	100.02%	94.24%	100.10%	98.28%	79.57%	100.10%	98.28%	79.57%
XV	**क्षमता उपयोग के लिए समायोजित आरओसीई**	2,183.86	2,591.02	5,750.92	6,256.18	5,806.31	5,686.47	6,776.27	6,296.27	6,168.33
XVI	**निवल अधिशेष (घाटा)**	**1,624.70**	**1,988.68**	**969.15**	**410.22**	**393.62**	**(2,361.93)**	**(650.82)**	**(689.74)**	**(3,426.33)**
XVII	**वर्ष 2006 के दौरान सीसीटीएल द्वारा अर्जित आय के बाद निवल अधिशेष का 50%**		67.16		22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39
XVIII	**सीसीटीएल का कुल अधिशेष (घाटा)**				**432.61**	**416.01**	**(2,339.55)**	**(628.44)**	**(667.35)**	**(3,403.94)**
XIX	**प्रचालन आय के % के रूप में निवल अधिशेष/घाटा (xvi/I% में)**	9.33%	10.60%	4.48%	1.89%	1.80%	-12.53%	-2.75%	-2.89%	-18.27%